




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुरेन्द्र महती

बनाम

धनद्वियाम महती वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
30-11-17	<p>अभिलेख सं०-एम...161.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सुनिता देवी</u> के अप्राथमिकी सं०-40/17... दिनांक-21-10-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सार्वजनिक वृक्ष एवं नाला का पानी रोकने पर प्रथम पक्ष के ड्राफ्ट वोलन पर द्वितीय पक्ष के ड्राफ्ट का रत्नवैस्ट गैड हैना पानी जमा होने से प्रथम पक्ष का गिरा भकान गिरावण के दोनो पक्षों से बचाव वगैरे</u> जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
5-12-17	<p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित 1 उभय पक्ष उपस्थित 1 उभय पक्ष जमानत दाखिल की 1 दिनांक 05-01-18 को शर्त 1</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  15/12/17 </div>	

तिथि

उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक ०१ उपस्थित
अन्य अनुपस्थित । द्वितीय पत्र गवाही
धनव्याग मही से परिजन रखें प्रति-
परिजन लिया गया तथा गवाही से भुक्त
किया गया । द्वितीय पत्र गवाही वन्द की
वारी है। अन्य पत्र बहल देन दिनांक
३१-०८-१८ को रखें ।


29/8/18

३१-०८-१८

प्रथम पत्र उपस्थित द्वितीय पत्र
क्रमांक ०१ उपस्थित अन्य अनुपस्थित । कोष
दण्ड ० अन्य कोष के अस्त । अगली तिथि
१०-०९-१८ ।

१०-०९-१८

आमलिया उपस्थापित । प्रथम
पत्र उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक ०१
उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उक्त बाद
में ६ (छः) माह की अवधि पूरी है

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
------	---------------------------------

शुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में आरीलेखा की कावर्ड बन्द की जाती है लेखापित एवं शंकायित

~~10/07/18~~
कार्यपालक दस्तावेजी
अण्ड (रॉय)

~~10/07/18~~
कार्यपालक दस्तावेजी
अण्ड (रॉय)